



सं / REGN NO: INSTM/R/2016/00011

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान

INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING & MANAGEMENT

(आईएसओ 9001:2008 संस्था / AN ISO 9001:2008 INSTITUTION)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग / DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

प्रशासनिक ब्लॉक, ज.ने.वि. परिसर (पुराना) / ADMINISTRATIVE BLOCK, JNU CAMPUS (OLD),

ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली - 110067 / OLOF PALME MARG, NEW DELHI - 110067

दूरभाष / TELEPHONE - 011-26105592; टेलीफैक्स / FAX - 011-26104183

दिनांक / Date: 27<sup>th</sup> September, 2016

To

Shri Tapeswar Singh  
Plot No. 35, Indra Puram,  
Shakti Khand-II  
Near Swaran Jyanti Paer & Sai Chowk  
Ghaziabad  
P.O. Shipra Sun City  
U.P. 201014

**Subject : Information sought under RTI Act, 2005**

Sir,

Please refer to your RTI application received on 19<sup>th</sup> August 2016.

2. The response is given below;

क्रमांक	प्रश्न	जबाब
1.	कृपया बताएं कि क्या कोई Requirement Rule (RR) / Policy/ etc हैं contract employees को रखने के लिए या उन्हें दि जाने वाली तमाम तरह के किसी भी प्रकार की सुविधाएँ जैसे salary/wages with breakup, type of leave with details and other allowances and facilities की विस्तार से विवरण सहित बताएं व (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	इस संस्थान में सलाहकार की नियुक्ति, कार्य की आवश्यकतानुसार की जाती है। कार्य एवं कार्य क्षेत्र के अनुसार एवं संविदा पर रखे जाने वाले की योग्यता के अनुसार सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात, जी एफ आर नियमों के अनुसार सलाहकार के salary/wages आदि निर्धारित किये जाते हैं।

2.	<p>कृप्या बताए कि क्या आपके विभाग में contract employees के साथ किस प्रकार का contract agreement किया है। उसके निया व शर्तें बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये। क्या सभी contract employees के साथ एक प्रकार का contract agreement किया है या अलग-अलग श्रेणी के employees के साथ अलग contract agreement किया है दोनों ही सूरत में सभी की attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये। तथा क्या उनकी post sanction / create आप के विभाग में है दोनों ही सूरत में विस्तार से विवरण सहित बताये व (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	<p>contract employees के अन्तर्गत कार्य विवरण, संविदा का समय, मासिक देय राशि, छुट्टी, एवं अन्य सम्बन्धित शर्तों का उल्लेख किया जाता है। सभी contract employees ] GFR के नियमानुसार एवं सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही रखे जाते है।</p>
3.	<p>कृप्या बताएँ कि ने अपने सभी contract employees को समान सुविधाएँ जैसे salary/wages with breakup, type of leave with details and other allowances and facilities एक समान है यदि नहीं तो विवरण सहित कारण बताये और (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	<p>सभी contract employees को मासिक देय राशि उनकी योग्यता अनुसार एवं किये जाने वाले कार्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है।</p>
4.	<p>कृप्या बताएँ कि Delhi Jal Board direct engage by contract employees / computer operator/ जो पिछले 12 सालों से भी ज्यादा समय से लगातार विभाग में काम कर रहे हैं उनको Delhi Jal Board किसी भी तरह की medical leave / ESIC / EPF जैसी सुविधाएँ किस नियम की वजह से नहीं दे रहा है। तथा उनको सिर्फ Minimum Wages ही दे रहा है Rs. 11,622/-Delhi Jal Board कहता है कि उनके यहाँ पर computer operator कि Sanction post नहीं है इस वजह से हम उन्हें इन सुविधायों को नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या विभाग 12 सालों से computer operator की post को create क्यों नहीं करा सका क्या इस बारे क्या किस rule / policy / Act /etc के तहत विवरण सहित कारण बताये और (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	<p>यह प्रश्न इस संस्थान से संबंधित नहीं है।</p>
5.	<p>कृप्या बताए कि क्या कोई समय सीमा है post को create करने rule / policy / Act /etc बताये और (supporting document) attested प्रतिलिपि</p>	<p>N/A</p>

	(Photocopy) उपलब्ध कराये।	
6.	विभाग contract employees / computer operator के काम तो सालों तक लेते रहें मगर उनके अधिकारों से वंचित कखा जाता है जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से Delhi Jal Board contract employees computer operator को ESIC के नाम पर सिर्फ खानापूति के रूप में उसका contribution Rs. 552/- दे रहा है। इस नीयम के तहत या पोलसी के तहत विवरम सहित कारण बताये और (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
7.	कृप्या बताए कि contract employees के लिए किसी भी बारे में अखिरी बार कब और कहाँ तथा किसके इन पर विचार किया गया हो या कभी Meeting/proposal/note/letter तैयार किया गया हो या लाया गया और किसी भी प्रकार से सम्बन्धित latest amendment rule / policy/Office Order / Instruction/ etc attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	कोई बैठक नहीं हुई ।
8.	कृप्या बताए कि contract employees जिनकी Sanction post नहीं है क्या उन सभी को समान सुविधाएँ salary/wages with breakup, type of leave with details and other allowances and facilities एक समान है यदि नहीं तो विवरण सहित कारण बताये और (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	सभी contract employees को कार्य की आवश्यकता के अनुसार समयबद्ध सीमा के लिए रखे जाते है ।
9.	कृप्या बताए कि Delhi Jal Board ने पिछले 10 सालों से भी जायादा समय से काम लेने के बाद भी Delhi Jal Board ने computer operator की post create किस कारण से नहीं किया। क्या कोई ऐसा नियम या काम या समय सीमा है post create करने कि। Delhi Jal Board computer operator से 12 साल से लगा कर काम तो ले सकते हैं मगर उन्हें उनका हक नहीं दे सकते हैं हमें किसी भी प्रकार की ना ही medical leave / ESI नहीं मिलती है। हम आज भी स्वतन्त्र भारत में दासों सी जिंदगी जी रहे हैं। कृप्या बताए कि क्या कभी पुर्व या वर्तमान में कभी किसी प्रकार की कोई File / proposal / Meeting/ /note/ बनाया गया हो यह किसी प्रकार का प्रस्ताव दिल्ली सरकार या केन्द्र सरकार के समक्ष रखा गया हो कृप्या उनका पुर्ण विवरण दे (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
10.	कृप्या बताए कि क्या कभी पुर्व में या वर्तमान में किसी	N/A

	Meeting/file/note/proposal या किसी अधिकार computer operator / contract employees की Sanction post को create करने के बारे में कोई वजह या किसी प्रकार से कार्यवाही के लिए दिल्ली सरकार के समक्ष रखा गया तथा वह किस स्तर पर और कहां विवरण सहित बताएँ तथा (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	
11.	कृप्या बताए कि कभी पूर्व में या वर्तमान में किसी Honorable Court द्वारा Computer Operator / Data Entry Operator/Contract Employees के बारे में कोई दिशा-निर्देश या किसी भी प्रकार suggestion मिला है Sanction post को create करने के बारे में तथा किसी और संबंध में तथा Delhi Jal Board या दिल्ली सरकार द्वारा उस क्या कार्यवाही या किस प्रकार का कदम उठाया गया तथा किसी स्तर पर विवरण सहित बताएँ तथा (supporting document) attested प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
12.	कृप्या बताए कि Central Govt./ State Govt. And any Board, Corporation etc ने Recruitment Rule (RR) / Policy/ etc बनाएँ Contract Employees को रखने के लिए या उन्हें दि जाने वाली तमाम तरह के किसी भी प्रकार की सुविधाएँ का विस्तार से विवरण सहित बताए व प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और यदि नहीं तो क्यों नहीं प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
13.	कृप्या बताए कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. Of India and Labour Department / Chief Labour Commissioner, Govt. Of India ने कोई भी किसी भी प्रकार के Recruitment Rule (RR) / Policy/ etc / Computer Operator / Data Entry Operator/Contract Employees के लिए बनाए गए प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और इन्हें कब-कब modify किया गया या विस्तार किया और क्यों विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	यह प्रश्न इस संस्थान से संबंधित नहीं है ।
14.	कृप्या बताए कि Recruitment Rule (RR) / Policy/ etc / Computer Operator /Contract Employees के लिए बनाएँ हैं प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और इन्हें कब-कब modify किया गया या विस्तार किया और क्यों विवरण सहित बताएँ और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	Reply given at question no 1.

15.	कृप्या बताए कि कोई भी किसी भी प्रकार के Recruitment Rule (RR) / Policy/ etc / Computer Operator / Data Entry Operator/Contract Employees के लिए बनाएँ है। प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध करायेँ और इन्हें कब-कब modify किया गया या विस्तार कीया और क्यों किया विवरण सहित बताएँ प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
16.	कृप्या बताए कि आपके आधिन विभिन्न विभागों divisions / offices ने कोई नया Recruitment Rule (RR) / Policy/ etc / बनाएँ है Computer Operator / Data Entry Operator/Contract Employees को स्थाई करने के लिए या उनके बारे में यदि हाँ तो विस्तार से विवरण सहित बताए व प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध करायेँ और यदगी नहीं तो क्या नहीं प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये। यदि कोई समय सीमा है तो बताए या इसमें अभी कितना समय लगेगा विस्तार से विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध करायेँ।	N/A
17.	कृप्या बताए कि आधिन विभिन्न विभागों divisions / offices में कार्य कर रहे संविदा / अस्थाई (Contract Employees direct engaged by department) कार्यक्रता कर्मचारियों जिनकी Sanction post विभाग में नहीं हैं क्या उनको विभाग द्वारा minimum wages & any allowances दिया जा रहा है। यदि दिया जा रहा है और यदि नहीं दिया जा रहा दोनों ही सूरत में प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
18.	कृप्या बताए कि आधिन विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संविदा / अस्थाई (Contract Employees direct engaged by third party/ contractor कार्यक्रता कर्मचारियों जिनकी Sanction post विभाग में नहीं हैं क्या उनको विभाग द्वारा minimum wages & any allowances दिया जा रहा है। यदि दिया जा रहा है और यदि नहीं दिया जा रहा दोनों ही सूरत में प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
19.	कृप्या बताए कि आधिन विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संविदा / अस्थाई (Contract Employees direct engaged by department) कार्यक्रता कम्प्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) को जो कि विभाग द्वारा खुद रखे गए क्या ऐसे कर्मचारी को कभी Labour Department / Chief Labour Commissioner के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices विभाग द्वारा पुर्व में स्थाई (Permanent) किया गया है । अथवा किया जा रहा है या ऐसा किसी प्रकार का Proposal/policy/file है तो विस्तार से विवरण सहित किस नियम के तहत बताए और प्रतिलिपि (Photocopy)	N/A

	उपलब्ध कराये।	
20.	कृप्या बताए कि आधिन विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संविदा / अस्थाई (Contract Employees direct engaged by department) कार्यरत किसी भी पद पर (any post) जो कि विभाग द्वारा खुद रखे गए क्या ऐसे कर्मचारी को कभी Labour Department / Chief Labour Commissioner के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices विभाग द्वारा पूर्व में स्थाई (Permanent) किया गया है। अथवा किया जा रहा है या ऐसा किसी प्रकार का Proposal/policy/file है तो विस्तार से विवरण सहित किस निया के तहत बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
21.	कृप्या बताए कि आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है तथा उन्हें दि जाने वाले भुगतान व सुविधाए का विस्तार से विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
22.	कृप्या बताए कि आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc आधिन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) काम कर रहे है कृप्या उनकी संख्या व कब से कार्य कर रहे है और उनकी नियुक्ती कैसे हुई के बारे में विस्तार से विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
23.	कृप्या बताए कि आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc आधिन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) काम कर रहे है विभागों द्वारा उनको दी जा रही सुविधाएँ ( Any type of leave and Financial and others, Salary/ Bonos etc with breakup) विस्तार से विवरण सहित बताए और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
24.	कृप्या बताए कि आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc आधिन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY	N/A

	<p>OPRATOR) की Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) काम कर रहे हैं उन विभागों द्वारा दी जा रही सुविधाएँ ( Any type of leave and Financial and others, Salary/ Bonos etc with breakup) विस्तार से विवरण सहित बताएँ और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	
25.	<p>कृप्या बताए कि आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc आधिन किन विभागों में काम कर रहे Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) काम कर रहे हैं विभागों द्वारा उनको दी जा रही सुविधाएँ (Financial and others, Salary/ Bonos etc with breakup) विस्तार से विवरण सहित बताएँ और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।</p>	N/A
26.	<p>कृप्या बताए कि आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc आधिन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) संविधा (Contract) पर विभाग द्वारा Direct appointment संख्या बताए व प्रतिलिपि दे। किस आधार पर इनकी नियुक्ती की गई तो उनकी भर्ती की प्रक्रिया क्या थी और इनको दि जाने वाली वित्तिय व अन्य सुविधाए का विस्तार से विवरण सहित बताएँ तथा प्रतिलिपि दे। उस विज्ञापन की प्रतिलिपि उस नियुक्ती की गयी थी। इन कंप्यूटर ओपरेटरों को किन नियम व शर्तों के आधार पर नियुक्त किया गया विवरण सहित बताएँ तथा प्रतिलिपि दे।</p>	N/A
27.	<p>संविधा (Contract) पर आधारित कार्यरत कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) की नियुक्त NIELIT/DOEACC and any third party/agency या ठेकेदारों द्वारा गए हैं उनकी संख्या व कब से रखे गए हैं समय भी बताएँ तथा किन नियम व शर्तों के अंतर्गत नियुक्त किया विज्ञापन / नियुक्ति सम्बंधी करार की प्रतिलिपि व विवरण सहित बताएँ उपलब्ध कराये।</p>	N/A
28.	<p>संविधा (Contract) पर आधारित कार्यरत कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) NIELIT/DOEACC या अन्य किसी ऐजेंसी या ठेकेदारों द्वारा संविदा पर नियुक्त किये गए कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) में से किसी को Department of Personnel &amp; Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. Of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे</p>	N/A

	divisions / offices etc ने अपने पेरोल या स्थाई तोर पर रख लिया? यदि हों तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएं।	
29.	क्या आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc आधिन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR)की कई श्रेणियाँ हैं? यदि हों तो उन्हे किस आधार पर वर्ग किया गया है प्रति उपलब्ध कराएं।	N/A
30.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) को किस आधार पर वेतन मिलता है। तता इनकी बढ़ोतरी किस आधार पर होती है और इनका वर्तमान वेतन दिनांक 01-07-2016 को कितना है। इन सबकी उपलब्ध कराए Salary breakup सहित।	N/A
31.	संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर ओपरेटरों या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) को किस प्रकार के भते सुनिधाए आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc द्वारा दाए जा रहे विवरण सहित बताए तथा प्रतिलिपि दे जैसे किसी भी प्रकार Leave/Allowances या कोई और Financial facility विवरण सहित बताएँ तथा प्रतिलिपि दे।	N/A
32.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) को अगर अपने कार्यस्थल आने या जाने पर विभागीय कार्यकरने में कोई Accident या अनहोनी होने पर विभागो द्वारा दि जाने वाली किसी भी प्रकार Financial facility का हवाली दे वीवरण दे तथा पूर्व में किसी तो दि गई है तो विवरण सहित प्रतिलिपि दे। अगर नहीं तो उस नियम का भी पूर्ण विवरण दे तथा वजह बताए तथा प्रतिलिपि भी दे।	N/A
33.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) की Salary / Agreement / Increment / Facility/ Any type Bonos Last and latest salary Increment and facility की प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
34.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में संविदी पर नियुक्त कंप्यूटर ओपरेटरों या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) को	N/A



	कितने स्थ के ले रखे गए है तथा प्रतिलिपि उपलब्ध कराये विभागो द्वारा इनका अनुबंध आखिरी बार कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।	
35.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में संविदी पर नियुक्त कंप्यूटर ओपरेटरों या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) को स्थयी करने कि लिए क्या प्रावधान है तो प्रति उपलब्ध कराएं।	N/A
36.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में संविदी पर नियुक्त इन कंप्यूटर ओपरेटरों या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) को स्थायी नहीं करने में आ रही अड़चन या नियम व कानून तथा विसंगतियों का विवरण दे तथा प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
37.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में संविदी पर नियुक्त इन कंप्यूटर ओपरेटरों या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) को स्थायी किया गया है। यदि हाँ तो विवरण दे तथा प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।	N/A
38.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc November 2015 तक कितने Computer Operator या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) संविदा (Contract) व आवश्यकता विभागों के अनूसार द्वारा बताए।	N/A
39.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc January 2015 के बाद से अब तक कितने Computer Operator या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) संविदा (Contract) पर लगाए गये उनकी सूची दिनांक सहित बताए तथा प्रति उपलब्ध कराएँ।	N/A
40.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में क्या कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) की Sanctioned Post है। कृप्या कि विभाग में कितनी है उसका विवरण दें ब प्रतिलिपि दे।	N/A
41.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में संविदा पर आधारित इन कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्टरी ओपरेटर (DATA ENTRY OPRATOR) को किस आधार पर वेतन दिया जाता है। उसकी प्रति उपलब्ध कराएं।	N/A

	1.	
42.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में संविदा / अस्थाई कंप्यूटर ओपरेटर्स या Graduate & Non Graduate के आधार पर वेतन दिया जाता है। प्रति उपलब्ध कराएं।	N/A
43.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में अगर संविदा / अस्थाई कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है। तो किस आधार पर वेतन दिया जाता है। विवरण सहित बताएं तथा प्रति उपलब्ध कराएं। (Break up) सहित।	N/A
44.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में अगर संविदा / अस्थाई कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को ..... के आधार पर वेतन देती है। यदि नहीं तो क्यों विवरण सहित बताएं तथा प्रति उपलब्ध कराएं। यदि हों तो भी विवरण सहित बताएं तथा प्रति उपलब्ध कराएं।	N/A
45.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में क्या कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post कितनी है। तथा कितने कार्यरत हैं तथा उनमें कितने स्थाई हैं तथा कितने अस्थाई हैं विभागीय विवरण सहित प्रति उपलब्ध कराएं।	N/A
46.	आपके के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागों divisions / offices etc में किसी भी श्रेणी के अस्थाई कर्मचारी पूर्व में स्थाई किया गया है या किया जा रहा है दोनों ही स्थिति में बताएं कि किस प्रावधान व नियम के तहत स्थाई किया गया है तथा किया जा रहा है। प्रति उपलब्ध कराएं।	N/A

3. In case you are not satisfied with the above response, you may prefer an appeal before the Appellate Authority i.e., Shri Sanjay Kumar Sharma, Additional Director, ISTM, R No. 112, Administrative Block, ISTM JNU Campus (Old), Olof Palme Marg, New Delhi, email [sanjaysharma.148p@gov.in](mailto:sanjaysharma.148p@gov.in) within 30 days of the receipt of this information.

Yours faithfully

एच. गोविंद

(H. Govind)  
Deputy Director & CPIO  
E.Mail: govind.h13@nic.in